रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 441] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 3, 1983/ आश्विन 11, 1905
No. 441] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 1983/ASVINA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1983

का. आ. 705(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार प्रथमदृष्टया इस मत की है कि "दि एनटिटी" (अंग्रेजी) नामक फिल्म में आतंक और क्रूरता के दृश्य हैं, जिनका दर्शकों पर घृणित और डरावना प्रभाव पड़ता है, तथा महिलाओं के नग्न दृश्य और यौन-क्रिया के दृश्य हैं जो मानविक संवेदनशीलता को क्षुब्ध करते हैं, और यतः इस प्रकार यह फिल्म इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ. 5/5/77-एफ (सी.), दिनांक 7-1-78 (यथा संशोधित) के अंतर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 2(3) और 2(4) में उल्लिखित हिंसा, क्रूरता, आतंक, अशिष्टता और अभद्रता से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अवहेलना करती है और इस प्रकार चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) (इसके बाद इसको उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5-ख(1) के अर्थ के अन्दर "शिष्टता या नैतिकता" और "किसी अपराध को करने के लिए उद्दीपन" से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करती है और यतः इस फिल्म का प्रदर्शन करते रहने से दर्शकों पर घृणित प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, इसलिए केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि जनता को इस फिल्म को देखने से तत्काल बचाया जाए ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि "दि एनटिटी" (अंग्रेजी) नामक फिल्म, जिसको केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बम्बई द्वारा "ए" प्रमाण-पत्र सं. ए-5063, दिनांक 27-5-83 प्रदान किया गया था, का प्रदर्शन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया जाए ।

[संख्या 809/24/83-एफ. (सी.)]
वी. एस. जाफा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 1983

S.O. 705(E).—Whereas the Central Governmer is prima facie of the opinion that the film "Th Entity" (English) contains scenes of horror ar cruelty having a disgusting and horrifying impa on the viewers and scenes of nudity of female boc and sexual scenes which are offensive to huma sensibilities and whereas the film thus offends th

guidelines relating to violence, cruelty, horror, vulgarity and obscenity mentioned in para-2(iii) and 2(iv) of the guidelines issued under this Ministry's notification No. F.5/5/77-F(C) dated 7-1-78 (as amended) and thus contravenes the provisions relating to "decency or morality" and "incitement to the commission of any offence" within the meaning of Section 5B(1) of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) (hereinafter called the said Act) and whereas the continued exhibition of the film is likely to have an unsavoury impact on the audience, the Central Government, therefore, feels it necessary to protect the public at large immediately from exposure to the film ;

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the exhibition of the film entitled "The Entity" (English) which was granted 'A' certificate No. A-5063 dated 27-5-83 by the Central Board of Film Certification, Bombay, be suspended for a period of two months with effect from the date of issue of this Notification.

[No. 809/24/83-F(C)]

V. S. JAFA, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983